

संवधान पीठ ने कहा उप-राज्यपाल चुनी हुई सरकार की “सहायता और सलाह” मानने को बाध्य

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट की संवधान पीठ ने लेफ्टनिंट-गवर्नर (Lieutenant-Governor-LG) और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता की सीमाओं को चर्चि रररर करते हुए कहा की लेफ्टनिंट-गवर्नर भूमि, पुलसि और पब्लिक आर्डर के मामलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के नरिणय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और मंत्रपरिषिद की “सहायता और सलाह” उन पर बाध्यकारी है।

नरिणय के महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह फैसला एक संवधान पीठ द्वारा दिया गया जसिमें मुख्य न्यायाधीश दीपक मशिरा, जस्टसि ए.के. सीकरी, जस्टसि ए.एम. खानवलिकर, जस्टसि डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टसि अशोक भूषण शामिल थे।
- दिल्ली सरकार ने 4 अगस्त, 2016 के दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जसिमें उप-राज्यपाल (लेफ्टनिंट गवर्नर) को प्रशासनिक हेड बताते हुए कहा गया था कविह मंत्रमिंडल की सहायता और सलाह मानने के लिये बाध्य नहीं हैं।
- कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बदलते हुए कहा की लेफ्टनिंट-गवर्नर को कोई भी स्वतंत्र नरिणय लेने की शक्ति नहीं है। उन्हें या तो मंत्रपरिषिद की 'सहायता और सलाह' पर कार्य करना होगा या उनके द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भति कसिी मामले पर राष्ट्रपति द्वारा लिये गए नरिणय को लागू करना होगा।
- पीठ ने कहा, अनुच्छेद 163 की भाषा अनुच्छेद 239AA के उपबंध चार जैसी ही है परंतु इसमें सरिफ इतना ही अंतर है की प्रविषिटी 1, 2 और 18 के संबंध में वधिानसभा कानून नहीं बना सकती है जसिके लिये उप-राज्यपाल के पास वशिषाधिकार है। अतः उप-राज्यपाल के पास कसिी भी राज्य के राज्यपाल से अधिक अधिकार हैं।
- पीठ ने अपनी अलग कतिु समेकति राय में लेफ्टनिंट-गवर्नर को सरकार के हर "मामूली" वविद को राष्ट्रपति के पास भेजने के खिलाफ चेतावनी भी दी।
- न्यायालय ने कहा, उप-राज्यपाल को सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करना चाहिये। फैसले में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया की उप-राज्यपाल यांत्रिक रूप से सभी मामले स्व-वविक के बिना राष्ट्रपति को संदर्भति नहीं कर सकते हैं।
- न्यायमूर्ता चंद्रचूड़ ने कहा की नरिणय लेने का वास्तविक अधिकार नरिवाचति सरकार के पास है क्योंकि विह जनता के प्रतजिवाबदेह है। लेफ्टनिंट-गवर्नर को नरिवाचति सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिये। न्यायमूर्ता चंद्रचूड़ ने कहा, “दिल्ली की वशिष स्थिति के प्रकाश में दिल्ली और केंद्र के बीच संतुलन की आवश्यकता है।”
- न्यायमूर्ता अशोक भूषण ने अपने अलग फैसले में कहा की संवधान की व्याख्या समय की आवश्यकता के आधार पर होनी चाहिये। नरिवाचति सरकार की राय का सम्मान कसिा जाना चाहिये।
- न्यायमूर्ता भूषण ने कहा, की संवधान ने यह नहीं कहा की सभी मामलों में उप-राष्ट्रपति की सहमति प्राप्ति की जानी चाहिये।

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं

- मुख्य न्यायाधीश ने कहा की, नौ जजों की संवधान पीठ के फैसले के आलोक में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। संवधान के अनुच्छेद 239AA के मुताबिक उप-राज्यपाल मंत्रमिंडल के कार्यों और फैसलों को मानने के लिये बाध्य हैं और वे स्वतंत्र रूप से तब तक काम नहीं कर सकते हैं जब तक संवधान उन्हें इसकी अनुमति नहीं देता है।
- पीठ ने कहा, दिल्ली वशिष अधिकार प्राप्त केंद्रशासति प्रदेश है। दिल्ली के बारे में फैसला लेने और कार्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। दिल्ली सरकार कसिी तरह के वशिष कार्यकारी अधिकार का दावा नहीं कर सकती।